न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:— 30.01.2018

मुकदमा नं0 05/2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

पप्पू उर्फ शिवसिंह पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी झारेडा रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली ———— सायल

बनाम

1. रेखसिंह पुत्र गिर्राज
2. समयसिंह पुत्र गिर्राज
3. सम्पत्ति बेवा पृथ्वीसिंह
4. भूरसिंह
5. शेरसिंह
6. देशराज
7. लोकेश
8. शीला

(4–8) पिसरान पृथ्वीसिंह

9. सरूपी बेवा शीशराम
10. कुंबेरसिंह पुत्र शीशराम

(1–10) जातियान गुर्जर निवासी झारेडा रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली

11. अजयसिंह पुत्र शीशराम जाति गुर्जर निवासी झारेडा रोड हिण्डौन सिटी जरिये संरक्षक माता सरूपी
12. शशि
13. ममता
14. सीमा

(12–14) पिसरान शीशराम जातियान गुर्जर निवासी झारेडा रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली

15. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन जिला करौली
16. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. शाखा प्रबनक, बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन जिला करौली— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री [illegible] एडवोकेट सायल
2. श्री राजूलाल [illegible] गैरसायल नं01 ता 7 व 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :— [illegible]3-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 3020 रकबा 1.05 है0, 3036 रकबा 0.62 है0, 3037 रकबा 0.36 है0, 3038 रकबा 0.03 है0, 3039 रकबा 0.33 है0, 3040 रकबा 0.25 है0, 3041 रकबा 0.27 है0, 3042 रकबा 0.63 है0, 7495 रकबा 0.77 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन है। जिसमें सायल का 1/5 हिस्सा, गैरसायल नं01 का 1/5 हिस्सा एवं गैरसायल नं02 का 1/5 हिस्सा तथा गैरसायल नं03 लगायत 8 का हि01/5 बहिस्सा बराबर तथा गैरसायल नं0 9 ता 14 का हि01/5 बहिस्सा बराबर तथा सायल एवं गैरसायलान सम्मलित रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त आराजीयात में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज है। गैरसायल नं03 के पति व 4 ता 8 के पिता पृथ्वीसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा गैरसायल नं03 ता 8 उसके विधिक व कानूनी वारिस हैं, जो उसके हिस्से पर काबिज व दखील है तथा गैरसायल नं0 9 के पति व गैरसायल नं0 10 ता 14 के पिता शीशराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा गैरसायल नं0 9 ता 14 उनके विधिक व कानूनी वारिस हैं, जो उसके हिस्से पर काबिज व दखील हैं। स्व0 गिर्राज के दो लडकियॉं रेशमा व राजन हैं, जिन्होंने आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र की भूमि में अपने हिस्से का सायल एवं गैरसायल नं01 व 2 को बहिस्सा बराबर तथा गैरसायल नं0 4,5,6,7, व 10,11 के हक में दिनांक 20.03.2015 को रिलीज करा दी और उक्त रिलीजडीड को गैरसायल नं015 के कार्यालय में दिनांक 21.03.2015 को पंजीकृत करा दिया इस प्रकार सायल की आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र में 1/5 हिस्सा है तथा गिर्राज की पुत्रियॉं रेशमा व राजन का आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र की भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। गैरसायल नं01 ने दीगर लोगों से साज करके आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3037, 3038,3036/10012 में होकर बिना सायल की सहमति के गलत व अवैध रूप से खिलाफ कानून संयुक्त खातेदारी की भूमि में भारी वाहनों को उक्त खेतों की भूमि में होकर मुख्य रोड से वाईपास वाले रोड पर निकाल रहा है, जिससे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि खराब हो रही है तथा उसमें काश्त होने में परेशनी आ रही है। सायल ने उक्त भारी वाहनों के निकास से भूमि के खराब होने तथा भूमि में रास्ता बन जाने तथा भूमि की किस्म में परिवर्तन होने के बाबत् गैरसायल नं01 से दिनांक 17.01.2018 को कहा और उक्त वाहनों का प्रवेश बद करने के लिए तथा भूमि के बंटवारे के लिए कहा तो वह नाराज हो गया और कहा कि तुमसे जो बने करो मैं तो उनसे किराये के रूप में [illegible] प्राप्त कर रहा हूँ मैं इसे बन्द नहीं करूंगा। भूमि को कृषि [illegible] भूमि से तुम्हें बेदखल कर दूंगा तथा भूमि को [illegible] का कब्जा करा दूंगा और बंटवारे के लिए मना कर दिया। विनाय [illegible] पत्र दिनांक 17.01.2018 को सायल द्वारा गैरसायल नं01 से संयुक्त खातेदारी की भूमि में होकर भारी वाहनों के निकास को बन्द करने तथा भूमि का बंटवारा कराने की कहने पर गैरसायल नं01

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

द्वारा भूमि में भारी वाहनों को निकलवाकर उनसे मोटी किराये की राशि प्राप्त करने के कारण भूमि की किस्म को परिवर्तन करने भूमि से सायल को बेदखल करने की धमकी देने तथा भूमि को रहन बय करने की धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सायल का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन भी पूर्ण रूपेण साबित है। गैरसायलान ने भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर दिया तथा भूमि में भारी वाहन निकालकर भूमि को नाकाबिल काश्त बना दिया तो सायल को अत्यधिक क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैसला मूल वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 3020 रकबा 1.05 है0, 3036 रकबा 0.62 है0, 3037 रकबा 0.36 है0, 3038 रकबा 0.03 है0, 3039 रकबा 0.33 है0, 3040 रकबा 0.25 है0, 3041 रकबा 0.27 है0, 3042 रकबा 0.63 है0, 7495 रकबा 0.77 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की भूमि में भारी वाहनों का कोई निकास नहीं करावें तथा ना ही भूमि को वाहनों के निकास से नाकाबिल काश्त बनावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे भूमि काश्त हेतु अनुपयोगी हो तथा भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी को उक्त भूमि में उसके हिस्से के उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा हो तथा वादी को उसके हिस्से का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 07.03.2019 को गैरसायल सं0 8, 10 लगायत 16 बाबूजद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल नं01 ता 7 व 9 की ओर से श्री राजूलाल एडवोकेट उपस्थित आये किन्तु कोई जबाव प्रार्थना पत्र कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किया तथा दिनांक 03.02.2020 को जबाव प्रार्थना पत्र बन्द करने के आदेश दिये गये। गैरसायल नं017 की ओर से श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट उपस्थित आये जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र मे दर्ज किया है कि गैरसायल नं02 ने गैरसायल नं017 से दिनांक 03.03.2017 को अपने हिस्से 1/5 को बैंक में गिरवी रखकर 146000/—रूपया का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया था, जो अभी बकाया है तथा गैरसायल नं010 ने बैंक से दिनांक 31.01.2018 को 47000/—रूपया का किसान क्रेडिट ऋण लिया था जो अभी बकाया है। अतः जबाव दर्ज0 पेश कर निवेदन है कि गैरसायल नं017 के ऋणों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071से 74, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067—70, फोटो प्रति नकल नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ट्रेस हाल नम्बरान, फोटो प्रति रजिस्टर्ड रिलीजडीड उनवानी रेशमा राजन बहक रेखसिंह वगैराह दिनांक 21.03.2015, पेश किये हैं।

वकील सायल एवं गैरसायल नं01 ता 7 व 9 एवं 17 उपस्थित। वकील सायल एवं गैरसायल नं01 ता 7 व 9 एवं 17 के वकील प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत गैरसायल नं01 ता 7 व 9 एवं 17 के वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक रूप से खातेदारी होने तक स्वीकार किया है तथा शेष तथ्यों को अस्वीकार किया है एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायल एवं गैरसायल नं01 ता 7, 9 एवं 17 के वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 3020 रकबा 1.05 हे0, 3036 रकबा 0.62 हे0, 3037 रकबा 0.36 हे0, 3038 रकबा 0.03 हे0, 3039 रकबा 0.33 हे0, 3040 रकबा 0.25 हे0, 3041 रकबा 0.27 हे0, 3042 रकबा 0.63 हे0, 7495 रकबा 0.77 हे0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 हे0 स्थित कस्बा हिण्डौन की खातेदारी भूरसिंह, शेरसिंह, देशराज, लोकेश पि0 पृथ्वी, शीला पुत्री पृथ्वी सम्पति देवी बेबा पृथ्वी हि0ब0हि0 1/7, रेखसिंह पप्पू समयसिंह पि0 गिर्राज हि0 3/7, कुबेरसिंह अजयसिंह पि0 शीशराम हि0 5/42, सीमा पुत्री शीशराम हि0 1/42, रेखसिंह पप्पू समयसिंह पि0 गिर्राज हि0 6/35, कुवेरसिंह पुत्र शीशराम अजयसिंह पुत्र शीशराम नावा0 संरक्षिका माता सरूपी हि0 2/35, भूरसिंह शेरसिंह देशराज लोकेश पि0 पृथ्वी हि0 2/35, जाति गुर्जर निवासी ग्राम खातेदार समयसिंह का हिस्सा राहिन बीओआई शाखा हिण्डौन दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायल एवं गैरसायल नं0 1ता 11 एवं 14 उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा गैरसायल सं02समयसिंह ने अपना हिस्सा को बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिण्डौन में रहन रखा हुआ है। सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा भी पेश किया हुआ है। गैरसायल सं01 ता 14 की ओर से कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जिससे साफ जाहिर है कि गैरसायलान के द्वारा सायल के हिस्से की आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न किया [illegible] होना है तथा उक्त आराजीयात को कृषि से अकृषि में गैरसायलान के [illegible] र्तित किया जाना सही प्रतीत होता है। यदि सायल के प्रार्थना पत्र में वर्णि[illegible] गैरसायलान को कोई आपत्ति होती तो गैरसायलान उज्र करते तथा [illegible] प्रार्थना पत्र पेश करते किन्तु गैरसायलान के द्वारा ऐसा नहीं किया [illegible] है। पक्षकारान के मध्य और मुकदमेबाजी नहीं बढे। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पाबन्द किये जाने में गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने पर गैरसायलान के द्वारा उक्त आराजीयात को नाकाबिल काश्त बनाने अर्थात कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने एवं सायल को उसके हिस्से की आराजीयात से बेदखल किये जाने का पूर्ण अन्देशा है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित है। सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 3020 रकबा 1.05 है0, 3036 रकबा 0.62 है0, 3037 रकबा 0.36 है0, 3038 रकबा 0.03 है0, 3039 रकबा 0.33 है0, 3040 रकबा 0.25 है0, 3041 रकबा 0.27 है0, 3042 रकबा 0.63 है0, 7495 रकबा 0.77 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन की भूमि में भारी वाहनों का कोई निकास नहीं करावें तथा ना ही भूमि को वाहनों के निकास से नाकाबिल काश्त बनावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे भूमि काश्त हेतु अनुपयोगी हो तथा भूमि से सायल को जबरन बेदखल नहीं करें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायल को उक्त भूमि में उसके हिस्से के उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा हो तथा सायल को उसके हिस्से का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15-03-2021

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner